संख्याः08/2026/504/छः-पु0-9-26-1681562

प्रेषक,

राकेश कुमार मालपाणी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-09 **लखनऊ : दिनांक 25-03-2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 15,31,80,000/- के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की धनराशि रूपये 3,82,95,000/- निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3/ख-14(यूपीएसआईएफएस)/2025 दिनांक 11.03.2026 एवं निदेशक, उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के पत्र संख्या-यूपीएसआईएफएस-बी-14/2025/1546 दिनांक 06.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फोरेंसिक लेखाशीर्ष "2055-पुलिस-116-न्यायालिक विज्ञान 04-उ०प्र० स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फोरेंसिक साइंस, लखनऊ के मानक मद -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रावधानित धनराशि रु० 15,31,80,000/- के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की धनराशि रूपये 3,82,95,000/- निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-04/2026/249/छः-पु0-9-26-1681562 दिनांक 28.02.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक 2055-पुलिस 116-न्यायालयिक विज्ञान-04-यू0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइसेंज, लखनऊ के मानक मद 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 15,31,80,000/- के सापेक्ष अंतिम किश्त के रूप में चतुर्थ किश्त की धनराशि रूपये 3,82,95,000/- (रूपया तीन करोड़ बयासी लाख पन्चानवे हजार मात्र) निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र०सं०	विवरण	धनराशि (रूपये में)
1	बायोलाजी प्रयोगशाला हेतु विभिन्न उपकरणों इत्यादि पर व्यय	28,00,000
2	सीरोलॉजी प्रयोगशाला हेतु विभिन्न उपकरणों इत्यादि पर व्यय	36,00,000
3	टॉक्सिकोलॉजी प्रयोगशाला हेतु विभिन्न उपकरणों इत्यादि पर व्यय	13,50,000
4	विभिन्न प्रयोगशाला हेतु कन्ज्यूमेवल्स, किट्स,ग्लासवेयर एवं प्लास्टिकवेयर इत्यादि पर व्यय	10,00,000
5	एडवान्स्ड डीएनए लैब में डीएनए प्रोफाइलिंग एवं जैनेटिक ऐनालाइजर हेतु उपकरण	24,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	इत्यादि पर व्यय	
6	एडवान्स्ड डीएनए लैब हेतु किट एवं फाइन केमिकल्स इत्यादि पर व्यय	18,00,000
7	फिजिक्स प्रयोगशाला हेतु विभिन्न उपकरणों इत्यादि पर व्यय	20,00,000
8	हाउसकीपिंग एवं अन्य व्यय	60,00,000
9	संस्थान के वाहनों का डीजल / पेट्रोल इत्यादि पर व्यय	16,00,000
10	संस्थान के पावर बैकअप हेतु जनरेटर के लिये डीजल इत्यादि पर व्यय	4,00,000
11	विद्युत बिल एवं अन्य व्यय	40,00,000
12	Advanced al Workstation एवं एसेसरीज पर व्यय	5,00,000
13	कार्यालय व्यय	10,00,000
14	अन्य कन्टीजेन्सी व्यय	9,00,000
15	रिसर्ज इत्यादि की प्लैजरियम चेक हेतु सॉफ्टवेयर इत्यादि पर व्यय	8,00,000
16	वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत इत्यादि पर व्यय	6,00,000
17	उ०प्र० पुलिस के 600 पुलिस कर्मियों हेतु क्राइम सीन मैनेजमेंट के प्रशिक्षण इत्यादि पर व्यय	30,00,000
18	छात्रावास हेतु इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों (गीजर, पावर स्विच इलेक्ट्रिकल वायर इत्यादि) इत्यादि पर व्यय	8,50,000
19	अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला / सेमिनार आयोजन हेतु	5,00,000
20	कार्यक्रम में आये महानुभावों के यात्रा / रुकने, मेस, परिवहन इत्यादि पर व्यय	1,95,000
21	04 अदद Multifunction Printers पर व्यय	30,00,000
	योग-	**3,82,95,000**

नियम शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) पुलिस मुख्यालय/संस्थान द्वारा उपकरण/सामग्री/सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरण/सामग्री/ सेवाओं के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों/सामग्री/सेवाओं आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) संस्थान/पुलिस मुख्यालय कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों/सामग्री के मेक/माडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) संस्थान/पुलिस मुख्यालय क्रय किये जाने वाले उपकरण/सामग्री/सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) उपकरण/सामग्री/सेवाओं का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

3. इस सम्बंध में होने वाला व्यय रूपये 3,82,95,000/- (रूपया तीन करोड़ बयासी लाख पन्चानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में फोरेंसिक लेखाशीर्षः 2055-पुलिस-116-न्यायालिक विज्ञान-04 यू०पी० स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइस लखनऊ के मानक-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक- 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

राकेश कुमार मालपाणी

विशेष सचिव।

संख्या-08/2026/504(1)/छः-पु0-9-26-1681562 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फोरेंसिक साइंसेज, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12
8. गृह (पुलिस) अनुभाग-7
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार मालपाणी

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in